हम सदन का बहिष्कार करते हैं···

(श्री आर. एन. राकेश सदन से बाहर चले गए ।)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा, कुछ भी मेरी अनुमति के बिना सम्मिलित नहीं होगा । (व्यवधान)

(इसके पश्चात श्री हरिकेश बहादुर तथा कुछ अन्य सदस्यगण सभा से उठकर बाहर चले गए ।)

अध्यक्ष महोदय : शांति बनाये रखिए । (व्यवधान)* मेरे विचार में आप "वन इज नाट एनाम" शीर्षक की किताब पढ़कर आए हैं। (व्यवधान)* नहीं, मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा । (व्यवधान) * नहीं मैंने अनुमति नहीं दी है, (व्यवधान) नहीं (व्यवधान)* मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा । (व्यवधान)* यह ठीक हैं । कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से आप सभा की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं नहीं (व्यवधान) मेरे संयम की परीक्षा मत लीजिए । यह काफी हैं । कोई अन्य तरीके पनाने की कोशिश मत कीजिए । (व्यवधान) क्या इस सभा में अनुशासन नाम की कोई चीज हीं है ? कोई भी माननीय सदस्य इन्हें तसल्ली करवा सकता है । यह बहुत ज्यादा है । अब उनका नाम ले रहा हूं । (व्यवधान)* श्री जगपाल, मैं किसी अन्य विषय पर जा रहा हूं । व्यवधान) कुछ नहीं ।

——

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा 19 फरवरी, 1981 को पेश किये गये तथा 20 फरवरी, 1981 को श्री नवल किशोर शर्मा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनों पर आगे चर्चा करेगी :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में से एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 16 फरवरी, 1981 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त अभारी हैं ।'

माननीय प्रधान मंत्री

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय मैं एक तरह से दुविधा में हूं । मैं चाहती थी कि ऐसे आरोपों-प्रत्यारोपों को टाला जाये जिनसे विपक्ष के सदस्य उत्तेजित होते हैं। लेकिन उनकी टिप्पणियों की दिशा, अप्रसांगिक आंकड़ों का दिया जाना जिन माननीय सदस्य

ने आलोचना की हैं, वे किसी विशेष दस्तावेज की लिपि को ही अधिक महत्व देते प्रतीत होते हैं—आदि आदि बातों ने मुझे उस अवधि का जिक्र करने के लिए बाध्य कर दिया है। लेकिन मैं आपको तथा सभा को आश्वासन देती हूं कि मैं ऐसा किसी के प्रति बिना कटुता अथवा संतोष की भावना से कर रही हूं। मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ़ती और न ही किसी को अनावश्यक उत्तेजित करना चाहती हूं। जनता पार्टी तथा लोक दल सरकारों की निष्क्रियता और दुष्क्रियता छिपी हुई नहीं है। उसे मुख्यतः सामने बैठे विपक्ष के सदस्यों ने उस समय भी तथा बाद में भी स्वीकार किया। वाद-विवाद सदा रोचक होता है, न केवल व्यक्त विचारों के लिए अपितु वक्ताओं का स्तर समझने के लिए भी। मैंने बहुत से भाषणों को सुना है, परन्तु सबको नहीं। कुछ को छोड़ कर शेष में शोर अधिक था, सार कम। मेरे दल के कई सदस्यों ने विपक्ष द्वारा रखी गयी बातों का उत्तर दे दिया है। इससे मेरा कार्य सरल हो गया है।

मुझे इस अद्भुत वक्तव्य को सुनकर आश्चर्य हुआ जिसमें आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति को हमारी नीति व्यक्त करने को कहा गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियां व्यक्त करनी होती हैं। यह वैधानिक स्थिति है। यह उपहासास्पद बात है कि हमने राष्ट्रपति को विवाद का विषय बना दिया है। यह सभी मानते है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार को नीति दस्तावेज होता है। यदि यह राष्ट्रपति का अपना वक्तव्य होता तो माननीय सदस्यों को संशोधन पुरः स्थापित न करने पड़ते।

एक विचित्र सिद्धान्त गढ़ा गया कि श्री चरण सिंह की सरकार हमने बनायी थी। कोई बात सत्य से इतनी दूर नहीं हो सकती। हमने घोर विरोध किया था कि उन्हें उस समय (व्यवधान) सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जब हमने 1977 में त्यागपत्र दिया था उस समय देश की स्थिति अच्छी थी। कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक थी। साम्प्रदायिक स्थिति नियन्त्रण में प्रतीत होती थी, अनाज भंडारों में स्थान नहीं था, विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत अच्छी थी। परन्तु वापस आने पर हमने क्या देखा? बीच के वर्ष न केवल निष्क्रियता, अनिर्णय की स्थिति के द्योतक थे अपितु उससे भयंकर अस्तव्यस्तता के भी थे। देश की अर्थ-व्यवस्था का जो धक्का सातवें दशक के मध्य में हमने लगाया था उसके परिणामस्वरूप देश कुछ समय बाद तक भी आगे बढ़ता रहा, परन्तु बाद में दिशा-निर्देशन तथा समर्थन के अभाव में प्रगति की गति धीमी पड़ गई। यदि वह गति 1977 से 1979 तक बनी रहती तो वह स्थिति आती जो कि हमने पिछले वर्ष पाई, जिसमें कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.5 प्रतिशत कमी आई।

बहुत से सदस्यों ने 1977 से 1979 के कार्य के बारे में बोला है, अतैव 1974 से 1977 के तीन वर्षों में अपनाई गई हमारी नीतियों के परिणामों की तुलना बाद के तीन बर्षों में जनता पार्टी तथा लोक दल की सरकारों द्वारा अपनाई गई नीतियों के दौरान परिणामों से करना वांछनीय है। संभवतः आप आंकड़े सुन चुके हैं। परन्तु मैं रिकार्ड के लिए पुनः दोहराती हूं। आप देखेंगे कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि अपेक्षित थी, वृद्धि की दर 4.1 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत रह गई। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर 1974-77 में 6.7 प्रतिशत था जो 1977-80 में 3.2 प्रतिशत रह गई। निर्यात का प्रतिशत 26.8 से घटकर 1977-80 में 7.8 रह गया। कृषि उत्पादनों का वृद्धि दर 1974-77 में 1.7 से घटकर 1977-80 में 0.8 प्रतिशत रह गया। जहां

हम कमी चाहते थे, अर्थात थोक मूल्य सूचकांक 1970-77 को 100 मानते हुए 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 1977-80 में 8.8 हो प्रतिशत हो गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मार्च से मार्च के आधार पर वृद्धि 5 प्रतिशत से बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई।

बिश्व बैंक की 1976-79 वर्षों की रिपोर्ट का अत्यन्त उत्साह से उल्लेख किया गया था—जोकि जनता सरकार के क्रियाकलापों को दर्शाने का निष्फल प्रयत्न था। उक्त रिपोर्ट विश्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई थी, तथा उसमें बैंक के कार्यकारी निदेशक के विचार नहीं थे। शायद सदस्य यह समझते थे कि उल्लिखित आंकड़ों से केवल जनता पार्टी तथा लोक दल का संबंध था विश्व बैंक की शब्दावली में वित्तीय अवधि 1976-79 में, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79 के वर्ष सम्मिलित हैं। इन चार वर्षों में उच्चतम वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत रही जोकि वर्ष 1975-76 में हुई थी। 1979-80 में वृद्धि दर का क्या हुआ, इसका उल्लेख मैं पहले कर चुकी हूं, अर्थात यह गिरकर—4.5% रह गयी। विश्व बैंक की उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 1975 में किये गए स्थिरीकरण के प्रयत्नों के फलस्वरूप उस समय की मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ गई। हमें उसके लिए विश्व बैंक अथवा किसी अन्य विदेशी ऐजेंसी की रिपोर्ट उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हमारे समाजवादी तथा मार्क्सवादी सदस्यों ने किया है। उपलब्धियों के बारे में तथ्य अपने आप स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। जनता तथा लोक दल की उपलब्धि के तथ्य क्या हैं? उन वर्षों का वृद्धि दर 3.5% था जोकि उससे पूर्व के तीन वर्षों के वृद्धि दर 4.1% से कम था। 3.3% का वृद्धि दर भी मेरी सरकार द्वारा तैयार दीर्घकालीन नीतियों के कारण संभव हुआ, जैसा कि मैं शुरू में बता चुकी हूं।

श्रीमान, मुद्रास्फीति हर जगह चर्चा का मुख्य विषय है। वर्तमान आर्थिक समीक्षा में आंकड़े दिये गये हैं जिससे पता चलता है कि हम मुद्रा स्फीति की दर को पिछले वर्ष की दर से घटा पाये है। स्पष्ट है कि हम पिछले कुछ वर्ष में चली आ रही प्रवृत्ति को पूरी तरह बदल नहीं पाये। फिर भी मूल्य स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि भारत में मुद्रा स्फीति की दर विश्व में सबसे अधिक है। मुझे पता नहीं है कि उनकी जानकारी का स्रोत कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 79 में सितम्बर, 1980 के बीच भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब मैं कुछ विस्तृत आंकड़े बताती हूं। ये हैं: कोरिया—24.3%, मैक्सिको—22.5%, पाकिस्तान—14.2%, इंग्लैंड–12.8%, फिलपाइन–11.2%, इन्डोनेशिया–9.8% अमरीका–9.5%, भारत जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं 7.2%। फिर भी इस पर हमें संतोष नहीं है और यद्यपि हम अपसी अर्थ-व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्फीति के दबाव से बिल्कुल अलग नहीं रख सकते तथापि हम मूल्यों को बढ़ाने से रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। किन्तु तेल जैसी कुछ वस्तुओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है। पुन: सरकार में आने के बाद हमने इस प्रवृत्ति को बदलने के मामले को प्राथमिकता दी है तथा आर्थिक विकास के लिए नए कार्यक्रम शुरू किथे हैं। सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। कृषि क्षेत्र में हमें सिंचाई सुविधाएं बढ़ानी चाहिएं, अच्छे बीज, रासायनिक वस्तुएं देनी चाहिएं तथा विस्तार सेवाओं को दृढ़ बनाना चाहिए। निम्न आंकड़े अपने आप में पूर्ण हैं। उर्वरकों की खपत 1979-80 में 52 लाख टन थी। 1980-81 में

खपत 56 लाख टन होने की संभावना है। अधिक उपज देने वाले बीजों की खेती 1979-80 में 352 लाख हेक्टेयर में की गई थी और 1980-81 में 480 हैक्टेयर में की गई है। कृषि के लिए सरकारी संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा दिया जाने वाला 2550 करोड़ रुपये से बढ़कर 2980 करोड़ रुपये हो गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में कार्य 1979-80 की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ। हमने प्रतिष्ठापित क्षमता के उपयोग को बढ़ाने, उत्पादन में बाधाएं दूर करने, लघु उद्योगों, अनुषंगी एवं छोटे कारखानों पर पूंजी सीमाएं बढ़ाने के लिए कार्यवाही की है।

ढांचे के प्रत्येक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर विशेष समन्वय एकक द्वारा, पूरी नजर रखी गई, समस्याओं का अध्ययन करके बेहतर समन्वय लाया गया जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास दर जो 1979-80 में 1.4 प्रतिशत थी 1980-81 में 4 प्रतिशत हो गई। बिजली उत्पादन में वृद्धि 2.2% से बढ़कर 6 हो गई। कोयले का उत्पादन 1069 लाख टन से बढ़कर 1150 लाख टन हो गया।

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर : आंकड़ों की धोखेबाजी है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुख्य पत्तनों पर 480 लाख टन के स्थान पर 510 लाख टन की ढुलाई हुई।

मुझे बताया गया है कि भूतपूर्व सरकार 'निर्यात' शब्द को भद्दा शब्द मानती थी। इसलिए इसे अवरोध की स्थिति से उभारने के लिए हमें मुख्य प्राथमिकताएं शुरू करनी पड़ीं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है, बाहर जाने वाले माल के आंकड़ों से पता चलता है कि 1979-80 में 32.8 लाख टन चावल दिया गया था जबकि 1980-81 में 43.4 लाख टन दिया गया। गेहूं के उत्पादन में कम वृद्धि हुई है। फिर भी उत्पादन 51.4 लाख टन से बढ़कर 59 लाख टन हो गया है।

वर्ष 1980-81 में 40,000 उचित मूल्य की दुकानें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गईं।

आश्चर्य है कि विपक्ष गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए श्रेय ले रहा है। वास्तव में ऐसा चीनी के मूल्यों एवं वितरण की युक्तनीतियों के क्रियान्वयन से संभव हुआ। इन नीतियों के कारण चीनी का उत्पादन पिछले पांच वर्ष में सबसे अधिक, अर्थात 7.2.1981 तक 29 लाख टन हुआ। जिन लोगों ने 1979 में चीनी के मामले में भारी गड़बड़ी की है, वही इस प्रवृत्ति के बदले जाने का श्रेय ले रहे हैं।

हम किसानों की मदद देना अधिक पसन्द करते है, हम उनके हित में नारे लगाने में प्रतिस्पर्धा करना नहीं चाहते। जब मैंने यह कहा था कि योजना का 25% किसानों के लिए रखा जायेगा तो मेरा यही वास्तविक उद्देश्य था। कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और विकास के विशेष क्षेत्रों में पूंजी लगाये जाने का वास्तव में यही अनुपात है।

दूसरे हमने 1974-77 के दौरान प्रचुर भंडार के निर्माण के लिए अनाज का आयात किया। पिछले वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देते समय मैंने इस मामले पर विस्तार से प्रकाश डाला था। उस समय मैंने बताया था कि हमारी सरकार खाद्यान्नों की अधिक वसूली न करती तो प्रचुर भंडार का निर्माण न हो पाता। स्मरण रहे कि आवश्यक वस्तुओं की कमी दूर करने तथा उन्हें उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध करने के लिए प्रचुर भंडार तैयार करने की नीति हमारी सरकार ने तैयार की थी। इसलिए हम उन नीतियों को जारी रखना चाहते हैं। हम पर वसूली धीमे करने का आरोप लगाना सर्वथा गलत है। खरीफ की फसल के अन्तर्गत 36 लाख टन के स्थान पर 47 लाख टन चावल की वसूली पहले ही की जा चुकी है। परन्तु पश्चिम बंगाल में अच्छी फसल हुई है परन्तु मुझे पता चला है कि उन्होंने वसूली जितनी करनी चाहिए थी उससे बहुत कम की है।

मुझे आशा है कि ऐसा उनकी किसी योजना के अनुरूप नहीं हुआ है।

हमारे ऊपर विदेशी मुद्रा के संसाधनों में कमी लाने का आरोप लगाया गया है। मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिला दूं कि 1966 में स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी। वर्ष 1975 से हमारे संसाधनों में काफी अधिक वृद्धि होने लगी, जिसका मुख्य कारण यह था कि इससे पहले के वर्षों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए गए और विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भी काफी पैसा भारत भेजना शुरू कर दिया। परन्तु यह आरक्षित भंडार केवल मात्र आरक्षित रखने के लिए नहीं बनाए जाते। जब हमारे समक्ष भुगतान की समस्या आती है तो उस समय हमें उन्हीं का प्रयोग करना पड़ता है, और जब कभी भी आयात वित्त में अपेक्षित या विशेष रूप से अधिक वृद्धि हो जाती है, जैसा कि पिछले वर्ष हुआ, जबकि पैट्रोल तेल तथा लियूबरिकेटिंग उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई, तो ऐसे समय में हमें इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। पेट्रोल तेल तथा लियूबरिकेटिंग (पी० ओ० एल०) आयतों के आंकड़े इस प्रकार हैं, 1978-79 -1,677 करोड़ रुपये, 1980-81—5,600 करोड़ रु० (अनुमानित)। अत: आयातित की जाने वाली मदों में से केवल एक ही मद पर हमें 4,00 करोड़ रु० खर्च करना पड़ा और इस पर भी हमारी विदेशी मुद्रा की परिसम्पत्तियों में केनल 400 करोड़ रु० की कमी हुई।

किसी देश के विकास के लिए उसके आधारभूत ढांचे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह एक बहुत ही निराशाजनक तथा ऐसा तथ्य है, जिससे बचा नहीं जा सकता, यह है कि सरकारी उपक्रमों सहित हमारे आधारभूत ढांचे के लिए बहुत अधिक लापरवाही बरती गई। उसकी स्थिति इस प्रकार है, वर्ष 1974-77 में हमारे यहां बिजली का उत्पादन 9.8% की दर से हो रहा था, जबकि 1977-80 में यह घटकर 5.9% रह गया। इसी प्रकार कोयला तथा लिगनाइट की उत्पादन दर जो कि 1974-77 में 8.8% थी, वह 1977-80 में घटकर 0.6% रह गई। इसी प्रकार रेल यातायात जो वर्ष 1974-77 में 9.6% टन किलोमीटर था वह 1977-80 में घटकर 0.2% रह गया। इसी प्रकार परिष्कृत इस्पात का उत्पादन वर्ष 1974-77 में 15.61 था वह 1977-80 में घटकर 4.6% रह गया। अत: ये आंकड़े 'इकानामिक सर्वे' से लिये गये हैं।

हमारी योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसके कार्यकरण में सुधार हो गया है, और हमें आशा है कि हम इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हुए 1979-80 की क्षति को न केवल पूरा कर लेंगे, अपितु आशा है कि हम 1974-77 के दौरान किए गए उपदान से भी अच्छा उत्पादन कर पाने में सफल होंगे। वर्ष 1974-77 में सरकारी उपक्रमों से प्राप्त होने वाले कर देने से पूर्व औसत लाभ 346 करोड़ रु० था। 1977-80 में यह घट कर केवल 190 करोड़ रह गया !

हमें इस बात की खुशी है कि हमने अभी तक जो भी कदम उठाये हैं, औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उनके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया गया है। वर्ष 1978 में श्रमिक झगड़ों के कारण 283.40 लाख मानव-दिवसों की हानि हुई, वर्ष 1979 में यह हानि बढ़कर 438.70 लाख मानव-दिवस हो गई और 1980 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार यह 129.10 लाख मानवदिवस है। परन्तु कुछ लोग शान्ति से अकेले नहीं बैठ सकते ! श्रमिकों को गुमराह करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे औद्योगिक संबंधों को खराब किया जा सके। मैं दायित्वपूर्ण श्रमिक नेताओं से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि वे इस प्रकार गुमराह न हों, और वह लंबी अवधि के लिए श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने में हमारी सहायता करें जिसे कि केवल उत्पादन में वृद्धि करके और केवल स्थिर अर्थव्यवस्था बना कर ही किया जा सकता है।

इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि परिवार नियोजन संपूर्ण विश्व के लिए बहुत आवश्यक है, और हमारे देश में व्याप्त परिस्थितियों में तो यह और भी आवश्यक है। यह एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमें पिछले वर्ष बहुत ही जोरदार धक्का लगा है। हमारे दल तथा हमारी सरकार ने कभी जोर जबरदस्ती के तरीके अपनाने की वकालत नहीं की है, और हमने इस कार्यक्रम को केवल जनसंख्या नियंत्रित करने का उपाय नहीं माना, अपितु हम इसे यह मानकर चले हैं कि आम जनता तथा उनके परिवारों की समृद्धि इसी में निहित है। एक सदस्य ने कहा था, कि "यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके लिए न केवल सरकार के सभी प्रयत्न ही अपेक्षित हैं, अपितु बिना किसी दलगत भावना या अन्य ऐसी बातों के इसके लिए समाज के सभी लोगों का पूरा सहयोग अपेक्षित है, मैं सदस्य के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं।

एक हल्का सा प्रयत्न यह दर्शाने का भी किया गया था कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए किया गया परिव्यय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रावधान की तुलना में कम है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि उनकी एक योजना अवश्य थी, परन्तु वह योजना नहीं के बराबर थी, क्योंकि उसके लिए कभी मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कि उस सरकार ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कितनी रुचि दिखाई थी, और उसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकों में व्याप्त निराशा का अनुमान लगाया जा सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हमारे किए गए आणविक प्रयोगों का अवमान नहीं किया गया था ? एक विचित्र घटना यह घटी और इसके संबंध में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए मैं न तो सरकार को या अपने वैज्ञानिकों को दोष नहीं देना चाहती, पर यह एक विचित्र बात है कि इन्होंने जो अंतरिक्ष में 'भास्कर' नामक उपग्रह भेजा,

उसने भी वापिस किसी प्रकार की जानकारी भेजने से इंकार कर दिया। हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में यह काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। मैं सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहती हूं, कि-हम विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास के लिए पूर्णतया कटिबद्ध हैं, और योजना तथा गैर योजना व्यय-परिव्यय बहुत महत्वपूर्ण तथा परिणाम-प्रधान होंगे। हम अपने बुद्धिमान वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकों को निरन्तर अपना समर्थन देते रहेंगे।

कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी हैं जिसकी चिन्ता हरएक को है, और मुझे भी उसकी चिन्ता है। परन्तु समस्या को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। मेरे पिछले शासन के अन्तिम दिनों में जान-बूझ कर ऐसे आन्दोलन आरम्भ किए एग थे जिससे कि हिंसा का वातावरण उत्पन्न हो। जो तत्व उसके लिए उत्तरदायी थे, उन पर बिना किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाये बिना कार्य करने दिया गया और इस प्रकार उनके कार्य को औचित्य प्रदान किया गया। इसके बाद जनता पार्टी। लोक दल के शासनकाल के दौरान जाति तथा साम्प्रदायिक विचारधारा उभर कर सामने आ गई। इसका परिणाम हम सभी ने देखा, सत्ता का अपमान किया गया, कानून को लागू करने वाले निकायों को हतोत्साहित किया गया, सरकारी तंत्र का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया और जाति तथा सम्प्रदाय संबंधी तनावों को बढ़ावा दिया गया।

इस समय जब केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अराजकता को नियन्त्रित करने के लिये उपाय कर रही हैं तो अन्य दलों ने राष्ट्रीय जन जीवन तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान की जरा सी परवाह किये बिना नये किस्म के आन्दोलनों को यदि उकसाने का नहीं तो उसे प्रोत्साहन देने का कार्य अपने ऊपर ले लिया है।

प्रत्येक व्यक्ति तथा वर्ग का कल्याण समग्र प्रगति पर निर्भर करता है। और प्रगति हमारे खेतों तथा कारखानों के उत्पादन पर निर्भर करती हैं। प्रगति हमारे स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य सरकारी तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं के कार्य संचालन, गुण तथा कार्य पर निर्भर करती है।

क्या हम में से किसी को प्रगति और विकास की गति को अवरुद्ध करने के लिये कहना चाहिए या कुछ करना चाहिए? मैं इस सभा में यहां पर इस बात को आप सभी लोगों तथा राष्ट्र के ऊपर इस बात को पहिचानने के लिये छोड़ती हूं कि क्या हमारे देश में ऐसे तत्व हैं जो विभिन्न वर्गों को उकसा चुके हैं और उकसा रहे हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक ही वस्तु के बारे में मूल्य वृद्धि और मूल्य में कमी कृषकों के लिये अधिक मूल्य तथा उपभोक्ताओं के लिये कम मूल्य की दोतरफी बातें करते हैं। उनकी कोशिश है कि मजदूरों को काम से रोककर तथा मजदूरों से धीरे काम करवा कर और वितरण प्रणाली को ठप्प करने का प्रयास करके उत्पादन में बाधा डाली जाये, ताकि तनाव तथा भय की भावना उत्पन्न की जा सके। विभिन्न भागों का कुछ भी औचित्य हो। क्या "रास्ता रोको" या "रेल रोको" या "काम रोको," जैसे नारे लगाना राष्ट्र हित में है?

एक माननीय सदस्य ने दंगेग्रस्त सभी स्थानों में मेरे दौरा न किये जाने की शिकायत की है। इस बारे में मैं स्थानीय प्रशासन की सलाह की पूर्णतः उपेक्षा नहीं कर सकती हू। कुछ स्थिति

विशेष रूप से साम्प्रदायिक स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो जाती है और ऐसे स्थानों में उसी समय जाना उचित समझा जाता है जब वहां शान्ति हो जाती है। ऐसे समय पर जाने से विश्वास पैदा करने में मदद मिलती है।

कई अवसरों पर यह बात भी ध्यान में आई है कि बार-बार के दौरों से दुखद यादगारें पुनः उत्तेजित हो जाती है और भावनाओं को ठेस पहुंचती है जिससे सामान्य स्थिति कायम करने में विलम्ब होता है।

असम में आन्दोलन एक बड़े लम्बे अर्से से चल रहा है। सरकार ने एक अत्याधिक धैर्यपूर्ण तथा रचनात्मक रवैया अपना लिया है। वास्तव में दुख की बात है कि आन्दोलन के नेताओं ने इसकी कोई परवाह नहीं की है। अब एक नया सोसा शुरू किया जा रहा है—आतंक बाद बमों के फेंकने की ऐसी गतिविधि को कोई सरकार सहन नहीं कर सकती है।

इस आन्दोलन के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ लम्बे समय तक परामर्श हो चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय दल का दावा करने वाला राजनैतिक दल अब उस आन्दोलन के पक्ष में बात करता है जिसके कारण असम तथा उत्तर-पूर्व को बड़ी

है।

भी

अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावनाओं से अशांति पैदा हो जाना स्वाभाविक है। मेरे दल ने और मैंने सदैव उन लोगों का साथ दिया है जो या तो आर्थिक रूप से या संख्या की वजह से कमजोर हैं। अतः हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के प्रति बचनबद्ध है चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों। या भाषायी अल्पसंख्यक हो, यूं ही कल जब मैं सुन रही थी शायद वह यह सदस्य थे जो बोल रहे थे अथवा कोई और सदस्य थे जो इस मामले में व्यवधान पैदा कर रहे थे। हिन्दी भाषा के बारे में उन्होंने एक कहानी बताई कि बम्बई में किसी व्यक्ति ने पूछा बस आती है कि आता है ? जबाब था कि "आवत" है जो उ० प्र० की मेरी इलाके की भाषा है। परन्तु इस पर मुझे उसी प्रकार की एक कहानी याद आयी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप तो मेडक क्षेत्र से हो।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : क्या मैं यह भी बताऊंगी कि मैं कहां पैदा हुई थी ?

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, जब प्रधान मंत्री बम्बई आयेगी तो हम उस बात को बतायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इससे मुझे एक दूसरी कहानी याद आ गई। यह बड़ी पुरानी कहानी स्वतंत्रता से पहले की कहानी है। दो अंग्रेज अधिकारी जो अलग-अलग अध्यापकों से उर्दू सीख रहे थे वे आपस में वाद-विवाद कर रहे थे। एक ने कहा कि यह 'तस्तरी' है। दूसरे ने कहा कि नहीं-नहीं मेरे अध्यापक ने बताया है कि यह 'रकाबी' है। अतः उन्होंने बैरा से सलाह करने का निर्णय किया। बैरे ने कहा हुजूर हम तो इसको पलेट कहते है।

साम्प्रदायिक सदभाव बढ़ाने का एक उपाय राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनः अस्तित्व में लाना है। हालांकि कुछ व्यक्तियों ने परिषद में शामिल होने से इन्कार किया है हमें आशा है कि इसमें हुये विचार-विमर्श के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

कल मैंने सुना कि श्रवण बेलगोला की मेरी यात्रा की आलोचना की गई थी। मैं गोमटेश्वर भारत की एक महान विचारधारा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने गई थी जिसने हमारे इतिहास संस्कृति, हमारे स्वाधीनता आन्दोलन में अपनाये गये तरीकों पर गहरी छाप छोड़ी है। माननीय सदस्यों को विदित है कि गांधी जी इससे प्रभावित हुये थे और अहिंसा अस्तेय आदि का अनुसरण किया था।

एक माननीय सदस्य : आप कोई टैम्पल न छोड़ें।

श्री जगपाल सिंह : औरंगजेब भी यही किया करता था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : गुजरात के आन्दोलन पर सदस्यों की चिन्ता उचित है। यह बड़े खेद की बात है। उन सभी पीड़ित व्यक्तियों के प्रति मेरी हार्दिक सहानुभूति है और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के प्रति जो वहां पर पीड़ित हैं, इस कारण से सहानुभूति है कि वे हमारे लोगों में सबसे अधिक कमजोर हैं। यह खेद की बात है कि कुछ राजनीतिक दल इस कुप्रेरित आंदोलन को जारी रखने के लिये लोगों को बढ़ावा दे रहे है। सरकार की यह नैतिक तथा संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह समाज के कमजोर वर्गों विशेषत: अनुसूचित जातियों और जन जातियों के शैक्षिक हितों की रक्षा करे।

श्री राम विलास पासवान : और ताली बजाओ। (व्यवधान) असम की सरकार को प्रधान मंत्री जी बर्खास्त कीजिये। गुजरात की सरकार गुजरात में आन्दोलन चला रही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : और हम इस दायित्व को पूर्ण रूप से निभाना चाहते है। स्वाभाविक रूप से हमें इस बात पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि योग्य व्यक्ति वंचित न रह जाए और कोई वर्ग यह महसूस न करे कि उनके प्रति भेदभाव बरता गया है। मुझे आशा है कि समाज के अधिक जिम्मेदार वर्ग शीघ्र शान्ति स्थापित करने के बारे में मदद करेंगे।

एक सदस्य ने शैक्षिक संस्थाओं में मेरी सरकार के हस्तक्षेप के बारे में एक आश्चर्यजनक टिप्पणी की। छात्रों के साथ हस्तक्षेप करके या कर्मचारीगणों में आतंक पैदा करके कुछ विपक्षी दल इन संस्थाओं में गड़बड़े शुरू कर रहे हैं। विपक्ष के एक दल द्वारा शासित राज्यों में ऐसा हो रहा है कि साहा आणुविक भौतिकी संस्था तथा बोस संस्था जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रभावी कार्य संचालन के नुकसान के लिये बड़े पैमाने पर वास्तविक हस्तक्षेप हो रहे है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सच नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो ··· (व्यवधान)···यह सच नहीं है ··(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं अंग्रेजी के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं प्राइमरी

शिक्षा के सम्बन्ध में बात नहीं कर रही हूं। मैं विज्ञान की उच्च संस्थाओं के बारे में बात कर रही हूं।

मैं समझती हूं कि कल यह कहा गया था कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के वास्तव में 7 में से 6 और जहां तक मुझे मालूम है सातवां विश्वविद्यालय विश्व भारती है जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, के साथ भी हस्तक्षेप हो रहा है। इसलिये वे इसके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे प्रधान मंत्री महोदया से इस अवसर को राज्य सरकार की निन्दा करने के लिये प्रयोग करने की उम्मीद नहीं थी ... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं किसी राज्य सरकार की निन्दा नहीं कर रही हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम सदन में वाद-विवाद कर सकते है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम सदन में वाद-विवाद क्यों करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप जो कह रहे हैं वह सच नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि यह सच नहीं है, यदि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है तो मैं इसको मान लूंगी। मैं इसके बारे में बहस नहीं कर रही हूं। यह सूचना हमारे पास इन संस्थाओं से संबंधित उन स्थानीय लोगों से आई है। (व्यवधान) यह अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है।

उसी प्रकार से रामकृष्ण मिशन का एक शिष्ट मंडल मेरे से मिला था जिसने उनके पोलिटनिक संस्थाओं तथा स्कूलों को अधिकार में लेने की शिकायत की। हमें मालूम है कि यह संस्था अपने समर्पित कार्यों का श्रेष्ठ शैक्षिक, चिकित्सा व राहत कार्य के लिये विश्व में प्रसिद्ध है। (व्यवधान) यदि ये मामले गलत हैं तो मैं सबसे पहले इसको मान लूंगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री महोदया चुनौती को स्वीकार करेंगीं? जो आप कह रही हो वह सच नहीं है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवधान न कीजिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आप सिद्ध करते हैं कि यह सच है तो मैं इस सभा से पदत्याग कर दूगा ...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)*

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम अनुभव करते हैं कि यह पक्की जानकारी है। परन्तु यदि ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं; मैं इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं। किसी के पदत्याग करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं माननीय सदस्य को धमकी नहीं दे ररी हूं।

जहां तक विदेश नीति का संबंध है ऐसा जान पड़ता है कि कुछ सदस्य अपनी काल्पनिक दुनियां में रहते हैं। एक सदस्य ने जनता पार्टी के शासन काल में हमारे पड़ोसियों के साथ संबंधों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को सामान्य बनाने की बात कही है। इतिहास को इतनी सरलता से तोड़ा-मरोड़ा नहीं जा सकता। मेरी सरकार ने ही पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिये पहला कदम उठाया था और इस दिशा में एक बड़ी पहल शिमला समझौता थी। स्वेच्छा से नदी जल को इस हद तक दे देना कि उससे कलकत्ता पत्तन को हानि हो, संबंध सामान्य करना नहीं कहा जा सकता। पारिस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर ही अच्छे पड़ौसी संबन्धों को बनाया और उन्हें बढ़ाया जा सकता है। इस मार्ग पर हम दृढ़ता से बढ़ते जायेंगे। हम भी इतने ही उत्सुक हैं जितना कि कोई दूसरा। वास्तव में हम मानते हैं कि अपने पड़ौसियों के साथ अच्छे संबन्ध बनाना आवश्यक है और हम इसके लिए हरसंभव प्रयत्न कर रहे हैं। एक अन्य माननीय सदस्य ने नैतिक चरित्र के अभाव की बात कही। वास्तव में उस दल द्वारा इन शब्दों का प्रयोग विचित्र लगता है। घटनाओं से विभिन्न मामलों पर हमारे सिद्धान्तवादी आधारों के औचित्य का पता चला हैं। हाल के गुट-निरपेक्ष सम्मेलन ने हमारी संतुलित, रचनात्मक और सक्रिय नीति को उजागर किया है। प्रेस को दिए गए माननीय सदस्य श्री वाजपेयी के बाद के वक्तव्यों ने उपहास की शायद अजमाने में असदिग्ध गहराइयों को प्रकट कर दिया। हवाना में दिए शिखर सम्मेलन में भारत के समर्थन की भूमिका को हम किस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। जनता पार्टी लोक दल के मध्यान्तर काल में गुटविरपेक्ष के बीच यह प्रश्न था, "भारत की स्थिति क्या है?" उस समय अनेक कारणों से जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय कारण भी शामिल हैं, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन कमजोर हुआ और जब मैं साली-सबरी और बेलग्रेड में विश्व नेताओं से मिली, तो उन्हें सन्देह था कि यह आन्दोलन बना रहेगा या समाप्त हो जायेगा।

इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष विदेश मंत्रियों का सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब विश्व की सूझबूझ और गुटनिरपेक्ष देशों की एकता को बहुत खतरे थे। प्रचारात्मक वक्तव्य दिये गये थे और बहुत लोगों ने हमारे बीच संदेह उत्पन्न करने का अपने भरसक प्रयास किये। परन्तु हरेक आदमी उस बात को जानता है। दिल्ली में हमने फूट के खतरों को दूर किया और उस सीमा तक अन्त-र्राष्ट्रीय तनावों को कम करने के काम में अपनी क्षमता को बढ़ाया। मुझे हमारे विदेश मन्त्री तथा उसके अधिकारी-दल को फूट की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके धैर्य, अक्षुब्ध, अथक कार्य पर बधाई देनी चाहिए। अब हमने इराक-ईरान प्रश्न के संबंध में रचनात्मक पहल की है। अफगानिस्तान के संबंध में विश्व के सभी भाग के नेताओं ने जब वे मुझ से मिले, इस व्यवहारिक भारतीय रुख की प्रशंसा की है जो शीघ्र राजनैतिक समाधान के लिए वातावरण तैयार करने में मदद करता है।

एक माननीय सदस्य : सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी : किसी ने पूछा, "सरकारी तौर पर या गैर-सरकारी तौर पर" हमने अपना रुख बदला नहीं है। हरसंभव मंच पर यह सरकारी-तौर पर तथा गैर-सरकारी तौर पर स्पष्ट किया गया था।

हमारा प्रारूप एक या दो बातों का उल्लेख नहीं करता है, इस बात में काफी तथ्य हैं। अब यह स्पष्ट है कि यह राष्ट्रीय प्रारूप नहीं था, ना ही भारतीय दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण था अपितु एक सर्वसम्मत मसौदा था। सर्वमान्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वह विभिन्न

विचारों का संकलन था, जिससे निस्संदेह बहुत अच्छी शुरुआत हुई तथा इसे अधिकतम सहमति प्राप्त हुई।

जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने कभी भी अपना दृष्टिकोण बदला हैं या कि ये सर्वसाधारण को साफ तौर पर नहीं बताए गए। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों से मिले समाचारों से हमें सम्मेलन के विषय में सामान्यतया प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया की सूचना मिलती है। यह सत्य है कि यहां इस सभा में विपक्ष द्वारा हमारी गुट-निरपेक्ष नीति की आलोचना की गई थी। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी मैं करती हूं या कहती हूं उसके लिए मुझ पर आक्रमण करने की नीति अपनाने वालों से मैं निष्पक्ष निर्णय की अपेक्षा नहीं करती।

हमारे किसान सच्चे देश भक्त हैं। वे दुख भोगते हैं तथा खेतों में पसीना बहा कर, हमारी सीमा की रक्षा करके या अपने बेटों, जो कारखानों में मजदूरी करते हैं, के माध्यम से देश की सेवा करते हैं। उनकी सेवा तथा त्याग की भावना से ही देश चल रहा है। हमारी किसान रैली वास्तव में प्रभावशाली तथा प्रेरणादायक घटना थी। इसमें देश के सभी भागों से किसान आए, यहां तक कि दूर-दराज क्षेत्रों से भी ····· (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकारी रैली थी या नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्रीमान, यह सरकारी उत्सव नहीं था। परन्तु जब इतने बड़े पैमाने पर कोई बात होती हैं तो यह देश के लिए महत्वपूर्ण है।

इसमें देश के सभी भागों से हमारे किसान आए थे, यहां तक कि उत्तर तथा उत्तर-पूर्व दूरस्थ क्षेत्रों से भी किसान आए थे। बड़ी दूरियों तथा विविधताओं के बावजूद एक साथ आने तथा भारतीय एकता को प्रदर्शित करने का यह एक अवसर था। इससे उनमें व्यापक राष्ट्रीय प्रयासों में भाग लेने की भावना पैदा हुई।

इतने विशाल समूह के अनुकरणीय व्यवहार तथा अनुशासन से पर्यवेक्षक विशेष तौर पर प्रभावित हुए, जिसका उदाहरण संसार में किसी भी समय कहीं भी नहीं मिलता हैं। इस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए।

हमारे कामगार वर्ग ने कठिन समय में भी सदा ही देशभक्ति की ऊंची भावना का परिचय दिया है तथा मुझे पूरी उम्मीद है कि धैर्य तथा संयम के साथ अपना काम करते रहेंगे तथा कारखानों में उत्पादन या कार्यालयों में काम में बाधा डालने का प्रयत्न नहीं करेंगे। उपलब्ध साधनों के माध्यम से सरकार सदा ही लोगों के सभी वर्गों के साथ न्याय करने को उत्सुक रही हैं तथा ऐसा ही करती रहेगी। हम अत्यधिक गरीब वर्ग की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, वस्तुत: उन पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जब तक कमजोर वर्गों को सशक्त नहीं बनाया जाता, तब तक धनवान लोगों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। विभिन्न वर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है और ना ही होनी चाहिए।

हमारी सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा के बिना मेरा भाषण अधूरा रह जाएगा। जिस प्रकार वे देश की सेवा करते हैं तथा हमारी सुरक्षा के लिए त्याग करते हैं और शान्ति काल में

विभिन्न आपदाओं से ग्रस्त लोगों की सहायता करते हैं, उसकी पूरा देश प्रशंसा करता है। हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को भी याद रखते हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं अपने तर्कों से किसी को पराजित करूं, बीती हुई बातों पर अन्तहीन चर्चा जारी रखूं। आज का ससार इतनी तेजी से चल रहा है कि हमें इसकी अनुमति नहीं मिल सकती। विपक्ष से मेरा कोई विरोध नहीं हैं। मैं उनका भला चाहती हूं। वे जैसे भी सरकार की आलोचना करते हैं, हम उसकी चिन्ता नहीं करते। कभी यह आलोचना नाटकीय होती है और कभी बिल्कुल निम्न स्तर की हो जाती है। शायद वे सोचते हैं कि इससे उन्हें सहायता मिलेगी। उनको क्या करना चाहिए उसका उन्हें स्वयं निर्णय करना चहिए। मेरा संबंध केवल उसी से है कि हम या हमारी पार्टी क्या करती है। हम किसी को भी बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाने की अनुमति नहीं दे सकते। मैंने बार-बार सहयोग के लिए अपील तथा इच्छा व्यक्त की है। मुझे खेद है कि इसके उत्तर में मुझे विरोध की भावना ही प्राप्त हुई है। विपक्ष के अधिकांश दलों ने इन वर्षों में मुकाबले का मार्ग चुना है। क्या हम सहयोग के लिए प्रयास नहीं कर सकते तथा कई विषयों पर मित्रतापूर्वक चर्चा नहीं कर सकते ? मुझे संदेह है शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस विचार से सहमत नहीं होगा कि देश के अन्दर तथा बाहर कई रूपों में स्थिति गम्भीर है। हमने भविष्य का सामना करना है। सभी देशों को कठोर निर्णयों का सामना करना है। हमारे पास अन्य कोई सुलभ उपाय नहीं है। स्थिति की मांग हैं कि एक जुट होकर अत्यधिक ठोस प्रयत्न किया जाए, ऐसा केवल हमारे माननीय सदस्यों, राजनैतिक दलों, किसानों और कामगारों, व्यावसायिक तथा बुद्धिजीवी लोगों, महिलाओं तथा युवकों, वास्तव में, सभी लोगों के रचनात्मक सहयोग से ही किया जा सकता है। इस दूरगामी संदर्भ में, देश की समस्याओं और कठिनाइयों तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में, हम अगर अपनी समस्याओं पर विचार करें तो श्रीमान, मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस देश के पास इन बाधाओं को पार करने तथा समाजवाद की ओर उन्नति करने की शक्ति है तथा लोगों के जीवन सुधारने का काम किया जा सकता है और उनकी काफी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। मैं सभा के सभी पक्षों के सदस्यों से ऐसा सहयोग चाहती हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : प्रधान मंत्री जी, जरा सा गुजरात इश्यु पर भी कहें। गुजरात जल रहा है, हरिजन आदिवासी मारे जा रहे हैं। आपने सदन में कहा है कि गुजरात की सिच्युएशन बहुत खराब है। प्रधान मंत्री जी हरिजन और वीकर सेक्शन्स को स्पष्ट आश्वासन दें।····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) : स्पष्टीकरण के प्रश्न पर मैं कुछ कहना चाहता हूं····· (व्यवधाव)।

अध्यक्ष महोदय : धन्यबाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा काफी संख्या में संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। मैं सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए एक साथ रखता हूं। क्या कोई माननीय

सदस्य किस विशिष्ट संशोधन को अलग से रखना चाहते हैं ? मैं देखता हूं कि कोई भी सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रहा है। मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभी के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :
"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत

किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस भाषण के लिए, जो उन्होंने 16 फरवरी, 1981 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला (संगरूर) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कोयला, कच्चा लोहा और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में अपना वक्तव्य दें :

"कोयला, कच्चा लोहा और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि, जिसके कारण उद्योगों और जन साधारण को कठिनाई हो रही है, के समाचार।"

अध्यक्ष महोदय : मधुकर जी, अब इसको लंच के बाद लेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे सकते हैं।